
इकाई 4 राष्ट्रीय नियम और दिशानिर्देश

इकाई की रूपरेखा

- 4.0 प्रस्तावना
- 4.1 उद्देश्य
- 4.2 ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
 - 4.2.1 ई-अपशिष्ट नियम के प्रमुख पहलू
- 4.3 प्रमुख परिभाषाएं
- 4.4 इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की श्रेणियां एवं औसत आयु
- 4.5 बोध प्रश्न 1
- 4.6 स्टैकहोल्डर के उत्तरदायित्व
 - 4.6.1 विनिर्माता के उत्तरदायित्व
 - 4.6.2 उत्पादक के उत्तरदायित्व
 - 4.6.3 संग्रहण केंद्रों के उत्तरदायित्व
 - 4.6.4 डीलर्स के उत्तरदायित्व
 - 4.6.5 नवीनीकरण करने वाले (रिफर्बिशर) का उत्तरदायित्व
 - 4.6.6 उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता के उत्तरदायित्व
 - 4.6.7 राज्य सरकार के उत्तरदायित्व
- 4.7 ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु गाइडलाइन्स
 - 4.7.1 विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई पी आर) के लिए गाइडलाइन्स
 - 4.7.2 ई पी आर प्लान का विवरण
 - 4.7.3 गाइडलाइन्स में उल्लेखित ई पी आर प्लान से संबंधित दस्तावेज
- 4.8 बोध प्रश्न 2
- 4.9 सारांश
- 4.10 प्रमुख शब्द
- 4.11 संदर्भ और सुझाव रीडिंग
- 4.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.0 प्रस्तावना

ई-अपशिष्ट के नियम की उत्पत्ति यूरोपियन यूनियन के WEEE डायरेक्टिव से हुई है, जिसमें आर ओ एच एस के अधिनियम को भी शामिल किया गया है। यूरोपियन यूनियन में यह अधिनियम 2003 में सभी प्रकार के ई-अपशिष्ट के एकत्रण, पुनर्चक्रीकरण, धातुओं की पुनः प्राप्ति लागू किया गया था। ई-अपशिष्ट को कई प्रकार से परिभाषित किया है:

WEEE डायरेक्टिव: इसमें सभी प्रकार के त्यागने योग्य इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनके पुर्जे, उपयोग किये हुए भाग आदि को शामिल किया गया है।

बासेल एक्शन नेटवर्क: इसमें सभी प्रकार के बोर्ड, बड़ी घरेलू उपकरणों एवं उपभोक्ता द्वारा उपयोग होने वाले सभी उपकरणों को शामिल किया गया है। जैसे: रेफ्रीजिरेटर, एयर कंडीशनर्स, सेल फोन्स, पर्सनल स्टेरो एवं कंस्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर्स को शामिल किया गया है।

ओ ई सी डी (2001) कोई भी उपकरण जो विद्युत प्रवाह से परिचालित होता है, उसकी जीवन अवधि समाप्त होने पर वह ई-अपशिष्ट में परिवर्तित हो जाता है।

4.2 ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016

सर्वप्रथम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तांतरण नियम), 2012 में लागू किये गए थे, जब कि हानिकारक पदार्थों के प्रतिबंधन को 2014 में पारित किया गया। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम का पुनः निर्वर्तन 2016 में किया गया। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत 6 अध्याय, 4 अनुसूची तथा 7 प्ररूप को उल्लेखित किया गया है।

अध्याय

अध्याय 1: अध्याय 1 में ई-अपशिष्ट से संबंधित सामान्य परिभाषाएं एवं पारिभाषिक शब्दों को उल्लेखित किया गया है।

अध्याय 2: अध्याय 2 में ई-अपशिष्ट प्रत्येक स्टेकहोल्डर कि जिम्मेदारियों के बारे में व्यक्त किया गया है।

अध्याय 3: अध्याय 3 में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्राधिकार प्राप्त एवं और प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।

अध्याय 4: अध्याय 4 में ई-अपशिष्ट के भण्डारण कि प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।

अध्याय 5: अध्याय 5 में इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल उपकरणों में पाए जाने वाले खतरनाक पदार्थों कि उपस्थित की एक सीमा को निर्धारित किया गया है।

अध्याय 6: अध्याय 6 में प्रकीर्ण अथवा वार्षिक रिपोर्ट, ई-अपशिष्ट का स्थानांतरण एवं दुर्घटना की रिपोर्टिंग के बारे में बताया गया है।

अनुसूची

अनुसूची 1: अनुसूची 1 में इन नियमों के अंतर्गत शामिल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की श्रेणियों सहित उनके अवयव, उपभोज्य एवं पुर्जे तथा अतिरिक्त पुर्जों के बारे में सूचित किया गया है।

अनुसूची 2: अनुसूची 2 में हानिकारक पदार्थों के प्रतिबंधन में छूट को सूचित किया गया है।

अनुसूची 3: अनुसूची 3 में विस्तारित उत्पादक दायित्व एवं उनके प्राधिकार के लक्ष्य को बताया गया है।

अनुसूची 4: अनुसूची 4 में प्राधिकरण एवं एवं उनके समनुरूपी कर्तव्यों के बारे में बताया गया है।

4.2.1 ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रमुख पहलू

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रमुख पहलू निम्नवत हैं :

- अनधिकृत पुनर्चक्रण/पुनर्प्राप्ति की गतिविधियों को कम करना।
- ई-अपशिष्ट को अधिकृत रेसाइक्लर को देकर पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित पुनर्चक्रीकरण को बढ़ावा देना।
- विस्तारित उत्पादक दायित्व द्वारा ई-अपशिष्ट के एकत्रीकरण/टेक-बैक करना तथा उसे अधिकृत रेसाइक्लर को देना।
- सामान्य अपशिष्ट में मिश्रित कोई भी लावारिस ई-अपशिष्ट को नगरपालिका द्वारा अधिकृत रिसाइक्लर अथवा डिस्मैटलर तक पहुँचाना।
- ई-अपशिष्ट के एकत्रीकरण प्रणाली का निर्माण करना।

4.3 प्रमुख परिभाषाएं

'ई-अपशिष्ट' से तात्पर्य विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से हैं जो उपभोक्ता द्वारा समग्र रूप से या उनके भाग अथवा जो निर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रिया से उत्पन्न ई-अपशिष्ट के रूप में हटा दिए जाते हैं।

विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से है जो पूर्ण रूप से क्रियान्वन होने के लिए विद्युत धारा पर या विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों पर आधारित होते हैं।

उत्पादक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति जो बिक्री के लिए किसी तकनीक के निरपेक्ष व्यवहारी, प्रतिधारक अथवा ई-प्रतिधारक से हैं जो अपने स्वयं के ब्रांड के अंतर्गत विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/अतिरिक्त पुर्जों का विनिर्माण तथा उनकी बिक्री के लिए प्रस्थापना करता है। जो आयातित इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरण और उनके घटकों/उपभोज्यों/हिस्सों/अतिरिक्त पुर्जों का विनिर्माण तथा उनकी बिक्री के लिए प्रस्थापना करता है।

लावारिस उत्पादों से तात्पर्य अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट गैर ब्रांड के संयोजित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ऐसी कंपनी द्वारा उत्पादित उपकरण होते हैं जिसने अपना प्रचलन बंद कर दिया हो।

ऐतिहासिक ई-अपशिष्ट अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से उत्पन्न ई-अपशिष्ट से हैं जो नियमों के लागू होने की तारीख में उपलब्ध थे।

ऐतिहासिक ई-अपशिष्ट अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से उत्पन्न ई-अपशिष्ट से हैं जो नियमों के लागू होने की तारीख में उपलब्ध थे।

बड़े उपभोक्ता से तात्पर्य जो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बड़े उपभोक्ता से हैं जैसे केंद्र एवं राज्य सरकार के विभाग, पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, बैंक, शैक्षिक संस्थान, बहुराष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण और सार्वजनिक, प्राइवेट भागीदारी कम्पनियाँ जो कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63), कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) और स्वस्थ देखभाल सुविधा, जिसका आवर्त 1 करोण से अधिक तथा बीस कर्मचारियों से अधिक होता है, के अधीन पंजीकृत है।

विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई पी आर) विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के किसी उत्पादक का दायित्व ऐसे अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से युक्तियुक्त प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश देना, विस्तारित उत्पादक दायित्व में उनके प्राधिकार में उनके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उत्पादन दायित्व वाले माध्यम के संगठन के माध्यम से या तो व्यक्ति रूप से या सामूहिक रूप से प्राधिकृत डिस्मैंटलर अथवा रिसाइक्लर के साथ सहमत व्यवस्था शामिल होना

4.4 इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की श्रेणियां एवं औसत आयु

क्रमांक	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की श्रेणियां	औसत आयु (वर्षों में)
i)	सूचना, प्रौद्योगिक और दूर-संचार उपकरण:	
	केंद्रीकृत डेटा प्रसंस्करण : मेनफ्रेम, मिनीकंप्यूटर	10 5
	व्यक्तिगत कंप्यूटिंग: व्यक्तिगत कंप्यूटर (इनपुट-आउटपुट यंत्रो सहित केंद्रीय प्रक्रियण एकक)	6
	व्यक्तिगत कंप्यूटिंग: लैपटॉप कंप्यूटर (इनपुट-आउटपुट यंत्रो सहित केंद्रीय प्रक्रियण एकक)	5
	व्यक्तिगत कंप्यूटिंग: नोटबुक कंप्यूटर	5
	व्यक्तिगत कंप्यूटिंग: नोटपेड कंप्यूटर	5
	केट्रीज सहित प्रिंटर	10
	प्रतिलिपिकरण उपकरण	8
	विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर	5
	प्रयोक्ता टर्मिनल और सिस्टम	6
	प्रणालियाँ	10
	टेलेक्स	5
	टेलीफोन	9
	पे टेलफोन्स	9
	कार्डलेस टेलफोन्स	9
	सेलफोन	
	फीचर फोन्स	7
	स्मार्ट फोन्स	5
	उत्तरदायी प्रणालियाँ	

क्रमांक	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की श्रेणियां	औसत आयु (वर्षों में)
ii)	उपभोक्ता विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स :	
	टेलीविजन सेट (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एवं लाइट	
	एमिटिंग डायोड प्रौद्योगिकी पर आधारित सेट सहित)	9
	रेफ्रीजिरेटर	10
	वाशिंग मशीन	9
	केंद्रीयकृत वातानुकूलन संयंत्रों को छोड़कर अन्य वातानुकूलक	10
	फ्लोरोसेंट और अन्य मरकरी युक्त लैंप	2

4.5 बोध प्रश्न 1

नोट: क) नीचे दिए गए स्थानों पर अपने उत्तर लिखें।

ख) अपने उत्तर को इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से तुलना करें।

1) सर्वप्रथम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तांतरण नियम) कब में लागू किये गए थे?

.....

.....

.....

.....

2) ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रमुख पहलू क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

3) इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की श्रेणियां एवं औसत आयु को उल्लेखित करिये।

.....

.....

.....

.....

.....

4.6 स्टेकहोल्डर के उत्तरदायित्व

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निम्न स्टेकहोल्डर के उत्तरदायित्वों को उल्लेखित किया गया है:

- सभी उत्पादक, विनिर्माता, उपभोक्ता अथवा बड़े उपभोक्ता, जो अनुसूची-1 में दिए गए विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बेचते, खरीदते और इन उपकरणों या उनके भागों की प्रौद्योगिकी में कार्यरत होते हैं
- सभी रिफर्बिशर (नवीनीकरण), संग्राहक, डिस्मैटलेर एवं रिसाइक्लर
- उपभोक्ता अथवा बड़े उपभोक्ता
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति
- नगरपालिका/महानगरपालिका/नगरपरिषद

4.6.1 विनिर्माता के उत्तरदायित्व

किसी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण के दौरान सृजित ई-अपशिष्ट का संग्रहण और उसके पुनः चक्रण या निपटान के लिए निर्दिष्ट दिशा देना

नियम 13 के उपनियम (2) के अधीन प्रक्रिया के अनुसरण में, संबंधित, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो **प्रारूप 1 (ख ख)** के अनुसार प्राधिकार प्रदान करेंगे, से **प्रारूप 1(क)** के अनुसार प्राधिकार प्राप्त करेगा

यह सुनिश्चित करेगा की ई-अपशिष्ट के भण्डारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान न हो

प्रारूप 2 में सृजित, हस्तांतरण एवं निपटान किये गए ई-अपशिष्ट के अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और ऐसे अभिलेखों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समीक्षा हेतु उपलब्ध करना

संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, की पश्चात्पूर्ती 30 जून या उससे पूर्व प्रारूप 3 में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा

4.6.2 उत्पादक के उत्तरदायित्व

अनुसूची 1 सूचीबद्ध विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उत्पादक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

- 1) विस्तारित उत्पादक दायित्व के क्रियान्वन निम्नलिखित ढांचे में करना अर्थात:
 - क) अपने उत्पादों की कार्यक्षमता की समाप्ति या कार्यक्षमता समाप्ति वाले अपने उत्पादों के समान निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अनुसूची 1 के अनुसार विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोड वाले उत्पादों की कार्यक्षमता की समाप्ति के कारन उत्पन्न ई-अपशिष्ट का विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई पी आर) अनुसूची III में निर्धारित लक्ष्यों के आधार के अनुरूप संग्रहण और निर्दिष्ट दिशा देगा

कार्यक्षमता की समाप्ति वाले उत्पादों से तथा उनके सेवा केंद्रों से प्राधिकृत डिस्मैटलेर/रिसाइक्लर को जाने वाले उन उत्पादों से ई-अपशिष्ट की निर्दिष्ट दिशा हेतु प्रयुक्त तंत्र विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार के अनुरूप होंगे, अपशिष्ट फ्लोरोसेंट और अन्य पारा/मरकरी वाले लैम्पों के लिए यदि रिसाइक्लर उपलब्ध न हो तो निर्दिष्ट दिशा संग्रहण केंद्र से शोधन, भण्डारण और निपटान सुविधा होगी।

शोधन, भण्डारण और व्ययन सुविधा हेतु मरकरी को क्रियाहीन करना तथा निपटान किये जाने वाले अपशिष्ट के परिमाण को कम करने के लिए पूर्व-शोधन अनिवार्य है।

विस्तारित उत्पादक दायित्व: प्राधिकार में पूर्व में लाये गए विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के संग्रहण की साधारण स्कीम शामिल होगी जैसे डीलर, संग्रहण केंद्रों, उत्पादक दायित्वा संगठनों (पी आर ओ) के माध्यम से खरीद वापसी व्यवस्था के माध्यम से, आदान- प्रदान स्कीम, जमा वापसी प्रणाली आदि के जरिये सीधे अथवा किसी प्राधिकृत अभिकरण के माध्यम से और प्राधिकृत रिसाइक्लर से इस प्रकार संग्रहित ई-अपशिष्ट को दिशा निर्दिष्ट कर सौंप देना।

उपभोक्ताओं या बड़े उपभोक्ताओं को उनके वेबसाइट तथा प्रयोक्ता प्रलेखन के जरिये पता, ई-मेल पता, टोल फ्री दूरभाष संख्या या हेल्पलाइन नंबरों जैसे संपर्क ब्यौरा उपलब्ध कराना ताकि प्रयुक्त विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लौटने में सुविधा हो।

निम्नलिखित के सम्बन्ध में मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संसूचन के किसी अन्य साधन द्वारा और उपकरणों के साथ उत्पाद प्रयोक्ता प्रलेखन के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करना।

- i) पता, ई-मेल, टोल फ्री दूरभाष संख्या अथवा हेल्पलाइन संख्या तथा वेबसाइट से संबंधित सूचना।
- ii) नियम 16 के उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में खतरनाक संघटकों सम्बन्धी सूचना।
- iii) ई-अपशिष्ट के अनुचित हस्तांतरण, निपटान, दुर्घटना स्वरूप टूट-फूट, क्षति और/अथवा अनुपयुक्त पुनः चक्रण के खतरों के सम्बन्ध में सूचना।
- iv) यह करें या यह न करें के साथ इसके उपयोग के बाद उपकरण के हस्तांतरण और निपटान के बारे में अनुदेश।
- v) उत्पादों या प्रयोक्ता प्रलेखन पर नीचे दिए अनुसार कोई दृश्यमान, पठनीय और अमिट प्रतीक चिन्ह चिपकाना और निपटान के लिए निर्धारित अपशिष्ट से भरे कूड़ेदान में ई-अपशिष्ट को डाले जाने से रोकने के लिए सूचना पुस्तिकाएं।



- vi) पुनः चक्रण के लिए ई-अपशिष्ट की वापसी के लिए अपने उपभोक्ताओं को साधन और कार्यविधि उपलब्ध करना जिसमें जमा वापसी स्कीम के विवरण, यदि लागू हों, भी शामिल हैं

- vii) उत्पादक वैयक्तिक या सामूहिक रूप से विस्तारित उत्पादक दायित्व को क्रियान्वित करने का चयन करेगा। वैयक्तिक उत्पादक दायित्व में उत्पादक अपने स्वयं के संग्रहण केंद्र स्थापित कर सकता है तथा / या विस्तारित उत्पादक दायित्व की पूर्ती के लिए वापसी प्रणाली क्रियान्वित कर सकता है। सामूहिक प्रणाली में उत्पादक, उत्पादक दायित्व संगठन के साथ एक सदस्य के रूप में तथा / या ई-अपशिष्ट के आदान-प्रदान की मौजूदगी में जुड़ सकते हैं। किसी भी मामले में वैयक्तिक उत्पादक प्रारूप 1 और नियम 13(1) के उप-नियम (1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ई पी आर प्राधिकार प्राप्त करेगा।
- (2) जमा प्रतिदाय स्कीम को प्राधिकृत डिस्मैटलेर / रिसाइक्लर को कार्य क्षमता समाप्ति वाले उत्पादों और उनको निर्दष्ट दिशा देने के लिए संग्रहण को सुनिश्चित करने की ऐसी एक स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना उपलब्ध करने के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व योजना में शामिल कराना परन्तु उत्पादक उपभोक्ता / बड़े उपभोक्ता से ली गयी उस राशि को, उत्पाद की कार्य क्षमता समाप्ति पर जमा अवधि के लिए प्रचलित दर पर ब्याज सहित वापस करेगा
- (3) विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयत की अनुज्ञा उन्ही उत्पादकों को दी जाएगी जिनके पास उत्पादक दायित्व प्राधिकार हों
- (4) हस्तांतरित किये गए ई-अपशिष्ट का प्रारूप 2 में अभिलेख रखेगा और ऐसे अभिलेख केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा समीक्षा के लिए उपलब्ध कराएगा
- (5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जून के 30 वे दिन को या इससे पहले उस वित्तीय वर्ष के बाद जिससे कि यह विवरणी संबंधित हो, प्रारूप 3 में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा। राडी उत्पादक के किसी राज्य में कई कार्यालय हों तो सभी कार्यालयों से सूचना लेकर एक वार्षिक विवरणी फाइल कि जाएगी
- (6) उत्पादक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रारूप 1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा जो इसके बाद प्रारूप (क क) में विस्तारित उत्पादक दायित्व प्राधिकार प्रदान करेगा
- (7) किसी उत्पादन द्वारा उत्तरदायित्व प्राधिकार के बिना प्रचलन जैसा कि नियम में परिभाषित है, पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाला कार्य समझा जा सकता है

4.6.3 संग्रहण केंद्रों के उत्तरदायित्व

- 1) उत्पादक या डिस्मैटलेर या रिसाइक्लर या रिफर्बिशर (नवीनीकरणकर्ता) में पक्ष में लावारिस उत्पादों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों सहित ई-अपशिष्ट का संग्रहण परन्तु उत्पादक द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र भी डिस्मैटलेर, रिफर्बिशर और रिसाइक्लर कि ओर से उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों सहित ई-अपशिष्ट का संग्रहण कर सकते हैं,
- 2) यह सुनिश्चित करेंगे कि सुविधाएँ समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों या जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार है,
- 3) उनके द्वारा संग्रहण किये गए ई-अपशिष्ट का भण्डारण सुरक्षित रीति में तब तक किया जाये जब तक उसे, यथास्तिति, रजिस्ट्रीकृत डिस्मैटलेर या रिसाइक्लर को न भेजा जाये,

- 4) यह सुनिश्चित करेंगे कि ई-अपशिष्ट के भण्डारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे,
- 5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देश के अनुसार हस्तांतरण किये गए ई-अपशिष्ट के अभिलेखों का प्रारूप-2 में अनुरक्षण करेगा और ऐसे अभिलेखों का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जब भी कहा जाये, समीक्षा के लिए उपलब्ध कराएँगे।

4.6.4 डीलर्स के उत्तरदायित्व

- 1) यदि डीलर को उत्पादक के रूप में संग्रहण करने का दायित्व दिया गया हो तो डीलर उपभोक्ता को ई-अपशिष्ट जमा करने के लिए बॉक्स, बिन या वापसी प्रणाली द्वारा एक निर्दिष्ट क्षेत्र उपलब्ध कराएगा तथा इस प्रकार संग्रहण किये गए ई-अपशिष्ट को उत्पादक द्वारा अभिहित संग्रहण केंद्र / डिस्मैटलर / रिसाइक्लर को भेजा जायेगा।
- 2) डीलर/प्रतिधारक/ई-प्रतिधारक ई-अपशिष्ट के जमाकर्ता को उत्पादक कि वापसी प्रणाली/जमा वापसी स्कीम के अनुसार धनराशि को वापस करेगा।
- 3) प्रत्येक डीलर यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार सृजित ई-अपशिष्ट का, यथास्थिति, उत्पादक या रेजिस्ट्रीकृत संग्रहण केंद्र को वापस सुरक्षित परिवहन किया जाये।
- 4) यह सुनिश्चित किया जाये कि ई-अपशिष्ट के भण्डारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे।

4.6.5 नवीनीकरण करने वाले (रिफर्बिशर) का उत्तरदायित्व

- 1) प्रत्येक रिफर्बिशर नवीनीकरण कि प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ई-अपशिष्ट का संग्रहण करेगा और इस अपशिष्ट को इसके संग्रहण केंद्र के माध्यम से प्राधिकृत डिस्मैटलर या रिसाइक्लर को निर्दिष्ट दिशा में भेजेगा,
- 2) प्रत्येक रिफर्बिशर प्राधिकार प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियम 13 के उप नियम (4) में निर्धारित प्रक्रिया के अधिकथित प्रारूप 9 (क) में आवेदन करेगा,
 - क) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक बार रेजिस्ट्रेशन के आधार पर रिफर्बिशर प्रारूप1 (ख ख) के अनुसार पंजीकरण करेगा और तीस दिन कि अवधि के भीतर आक्षेपित न हो तो रेजिस्ट्रीकरण हुआ समझा जायेगा,
 - ख) प्राधिकृत रिफर्बिशर के लिए अपेक्षित है कि वह वार्षिक आधार पर उत्पन्न ई-अपशिष्ट का ब्यौरा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करेगा,
- 3) यह सुनिश्चित करना कि ई-अपशिष्ट के भण्डारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे,
- 4) यह सुनिश्चित करना कि नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े,
- 5) प्रत्येक रिफर्बिशर यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार सृजित किया गया ई-अपशिष्ट का प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रो या डिस्मैटलर को परिवहन किया जाये,

- 6) प्रत्येक रिफर्बिशर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उस वित्त वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के 30 जून को या उससे पूर्व प्रारूप 3 में वार्षिक विवरणी फाइल करेगा,
- 7) प्रत्येक रिफर्बिशर हस्तांतरित किये गए ई-अपशिष्ट के अभिलेख प्रारूप 2 में अनुरक्षित करेगा और ऐसे अभिलेखों को समुचित प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के लिए उपलब्ध करना चाहिए।

4.6.6 उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता के उत्तरदायित्व

- 1) अनुसूची 1 में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उत्पन्न ई-अपशिष्ट को संग्रहण केंद्र या उत्पादक का प्राधिकृत या डिस्मैंटलर या रिसाइक्लर के माध्यम से निर्दिष्ट दिशा में पहुँचाया जा रहा है या उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई गयी उद्ग्रहक या वापस लेने वाली सेवाओं के माध्यम से प्राधिकृत डिस्मैंटलर/रिसाइक्लर को लौटाया जा रहा है,
- 2) अनुसूची-1 में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बड़े उपभोक्ता प्रारूप-2 में उनके द्वारा उत्पन्न ई-अपशिष्ट का अभिलेख रखेंगे और ऐसे अभिलेख संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समीक्षा के लिए उपलब्ध कराएँगे।
- 3) अनुसूची 1 में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता सुनिश्चित करें कि ऐसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों कि कार्य क्षमता कि समाप्ति पर उसके अपशिष्ट के साथ उनमें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उपबंधों और उसके अधीन आने वाली रेडिओधर्मी सामग्री अंतर्विष्ट न होय
- 4) अनुसूची 1 में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बड़े उपभोक्ता वार्षिक विवरणी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रारूप 3 में वित्त वर्ष, जिससे उक्त विवरणी संबंधित है, के बाद वाली 30 जून को या उससे पहले फाइल करेगा। यदि बड़े उपभोक्ता के राज्य में बहुत कार्यालय हैं तो सभी कार्यालयों की सम्मिलित सूचना की एक विवरणी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वित्त वर्ष जिससे उक्त विवरणी संबंधित है, 30 जून को या उसके पश्चात् फाइल की जाएगी।

डिस्मैंटलर के उत्तरदायित्व

- 1) प्रत्येक डिस्मैंटलर सुनिश्चित करेगा की सुविधा और डिस्मैंटलिंग (भंजन) प्रक्रिया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय- समय पर विहित मानकों या दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
- 2) नियम 13 उप नियम (3) के अधीन प्रक्रिया के अनुसरण में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अभिप्राप्त करना।
- 3) यह सुनिश्चित करेगा कि ई-अपशिष्ट के भण्डारण एवं परिवहन के दौरान पर्यावरण की कोई क्षति न हो।
- 4) यह सुनिश्चित करेगा कि डिस्मैंटलिंग (भंजन) प्रक्रियायो का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

- 5) यह सुनिश्चित करेगा कि भंजित ई-अपशिष्ट को सामग्रियों की पुनः प्राप्ति के लिए पृथक किया जाये और प्राधिकृत पुनः चक्रण सुविधाओं को भेज दिया जाये।
- 6) यह सुनिश्चित करेगा कि गैर-पुनः चक्रण योग्य संघटकों को प्राधिकृत शोधन, भण्डारण और निपटान सुविधाओं को भेज दिया जाये।
- 7) संग्रहित, भंजित ई-अपशिष्ट प्राधिकृत रिसाइक्लर को भेजे जाने के अभिलेख का प्रारूप 2 में रखा जाना और ऐसे अभिलेख को समीक्षा के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाये।
- 8) प्रारूप 3 में विवरणी, यथास्थिति, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उस वित्तीय वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के पश्चातवर्ती 30 जून को या उससे पहले फाइल करेगा।
- 9) सामग्री की पुनः प्राप्ति (रिकवरी) के लिए ई-अपशिष्ट का प्रोसेस (प्रसंस्करण) तब तक नहीं करेगा जब तक की वह डिस्मैटलर प्रोसेस एवं रिकवरी के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत नहीं हो।
- 10) किसी डिस्मैटलर द्वारा बिना प्राधिकरण के ई-अपशिष्ट प्रोसेस करना, उस डिस्मैटलर को पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला माना जायेगा।
- 11) रिसाइक्लर द्वारा पुनः चक्रण के लिए अनुसूची-I में सूचीबद्ध किये गए अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या घटकों को स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते की उनमें कोई रेडिओधर्मिता सामग्री सन्निहित न हो और इसका उल्लेख संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करते समय किया जायेगा।

इस नियम में परिभाषित, किसी रिसाइक्लर के प्राधिकार के बिना प्रचलन को पर्यावरणीय क्षति के रूप में माना जायेगा।

4.6.7 राज्य सरकार के उत्तरदायित्व

- 1) विद्यमान तथा तैयार हो रहे औद्योगिक पार्क, सम्पदा तथा औद्योगिक समूहों में ई-अपशिष्ट के भंजन और पुनः चक्रण के लिए औद्योगिक स्थान ये शेड निर्धारण अथवा आवंटन सुनिश्चित करने के लिए किसी राज्य में उद्योग विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई उप सरकारी अभिकरण होगा।
- 2) निम्नलिखित के लिए किसी राज्य में श्रम विभाग या इस सम्बन्ध में प्राधिकृत कोई अन्य सरकारी अभिकरण होगा:
 - क) भंजन तथा पुनः चक्रण में लगे कर्मचारियों को मान्यता देना और उनका रेजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करना,
 - ख) भंजन सुविधाओं की स्थापना सुगम बनाने के लिए ऐसे कर्मचारियों के समूह बनाने में सहायता,
 - ग) भंजन तथा पुनः चक्रण में शामिल कर्मचारियों के लिए औद्योगिक कौशल विकास कार्यक्रमलाप शुरू करना,

घ) भंजन तथा पुनः चक्रण में शामिल कर्मचारियों की वार्षिक निगरानी और उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुनिश्चितता।

- 3) राज्य सरकार इन उपबंधों (प्रोविजन) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना की तैयारी करेगी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- 4) शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम समिति/परिषद्/निगम) सुनिश्चित करेंगे कि लावारिस उत्पादों से संबंधित ई-अपशिष्ट का संग्रहण किया जाये और उसे प्राधिकृत डिस्मैटलर या रिसाइक्लर को दिशा-निर्दिष्ट किया जाये।

4.7 ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु गाइडलाइन्स

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु गाइडलाइन्स बनाने का आदेश देता है, इस गाइडलाइन्स में निम्न प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है:

- विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई पी आर)
- चैनलाइजेशन
- भण्डारण
- परिवहन
- रेफरबिश्मेंट (नवीनीकरण)
- विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपस्थित हानिकारक तत्वों के परीक्षण हेतु नमूने की जाँच

4.7.1 विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई पी आर) के लिए गाइडलाइन्स

- सभी उत्पादकों को या तो एकल या अन्य उत्पादकों के साथ अथवा पी आर ओ के द्वारा प्राधिकृत रिसाइक्लर के साथ अनुबोधक होना अनिवार्य है।
- सभी उत्पादकों को विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई पी आर) प्राधिकार के लिए ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रारूप 1 में आवेदन करना अनिवार्य है। इस आवेदन में अवधि समाप्त होने वाले उपकरणों (ई-अपशिष्ट) के संग्रहण एवं दिशा-निर्दिष्ट के बारे में सूचना देना अनिवार्य है।
- उत्पादक द्वारा उत्पादित ई-अपशिष्ट को एक विशेष वर्ग कोड में अनुमानित करना अनिवार्य है, जिसमें उत्पादक, पिछले वर्षों में बाजार में पहुंचाए गए ई-उपकरणों एवं उपकरण की औसत आयु को ध्यान में रखते हुए उपकरणों की मात्रा (संख्या एवं वजन) के आधार पर अनुमानित करेगा।

क्रमांक	वर्ष	ई-अपशिष्ट के एकत्रण लक्ष्य (वजन)
i)	2017-2018	उत्पादित ई-अपशिष्ट का 10% जैसा कि ई पी आर प्लान में सूचित किया गया हो
ii)	2018-2019	उत्पादित ई-अपशिष्ट का 20% जैसा कि ई पी आर प्लान में सूचित किया गया हो
iii)	2019-2020	उत्पादित ई-अपशिष्ट का 30% जैसा कि ई पी आर प्लान में सूचित किया गया हो
iv)	2020-2021	उत्पादित ई-अपशिष्ट का 40% जैसा कि ई पी आर प्लान में सूचित किया गया हो
v)	2021-2022	उत्पादित ई-अपशिष्ट का 50% जैसा कि ई पी आर प्लान में सूचित किया गया हो
vi)	2022-2023	उत्पादित ई-अपशिष्ट का 60% जैसा कि ई पी आर प्लान में सूचित किया गया हो।
vii)	2023 और उसके बाद	उत्पादित ई-अपशिष्ट का 70% जैसा कि ई पी आर प्लान में सूचित किया गया हो।

उत्पादक/आयातक, जिन्होंने हल के वर्षों में उद्योग शुरू किया है-जिनका उद्योग आरम्भ होने के वर्ष उपकरण कि औसतन आयु से कम हो

क्रमांक	वर्ष	ई-अपशिष्ट के एकत्रण लक्ष्य (वजन)
i)	2018-2019	वित्तीय वर्ष 2016-18 में उपकरणों की बिक्री का 5%
ii)	2019-2020	वित्तीय वर्ष 2017-2018 में उपकरणों की बिक्री का 5%
iii)	2020-2021	वित्तीय वर्ष 2018-2019 में उपकरणों की बिक्री का 10%
iv)	2021-2022	वित्तीय वर्ष 2019-2020 में उपकरणों की बिक्री का 10%
v)	2022-2023	वित्तीय वर्ष 2020-2021 में उपकरणों की बिक्री का 15%
vi)	2023-2024	वित्तीय वर्ष 2021-2022 में उपकरणों की बिक्री का 15%
vii)	2024-2025	वित्तीय वर्ष 2021-2022 में उपकरणों की बिक्री का 20%
viii)	2023 और	उसके बाद पूर्वगत पिछले वर्ष उपकरणों की बिक्री का 20%

4.7.2 ई पी आर प्लान का विवरण:

उत्पादक ई-अपशिष्ट के निर्वाहन के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीम को जमा कर सकता है, इनमें निम्न विवरण को देना अनिवार्य है:

- उपभोक्ता/बड़े उपभोक्ता द्वारा ई-अपशिष्ट को वापस करने हेतु उत्पादक द्वारा दिए जाने वाले स्कीम का विवरण देना। यह विवरण डीलर्स के माध्यम से वापसी

प्रणाली/जमा स्कीम का अथवा ई-अपशिष्ट के बदलने की स्कीम हो सकता है। इस प्रकार एकत्रित किये गए ई-अपशिष्ट के निर्वहन का विवरण देना।

- यदि उत्पादक ई पी आर की जिम्मेदारी को पी आर ओ के माध्यम से करता है तो पी आर ओ का विवरण एवं ई-अपशिष्ट का एकत्रण तथा निर्वहन के लिए प्राधिकृत रिसाइक्लर/डिस्मैंटलर का विवरण देना अनिवार्य है। यदि ई-अपशिष्ट का परिवर्तन निर्वहन का भाग है तो उसका भी विवरण देना अनिवार्य है।
- यदि उत्पादक ई-अपशिष्ट का एकत्रण तथा निर्वहन के लिए डिपॉजिट रिफंड स्कीम या एक्सचेंज स्कीम को अपनाता है तो ई पी आर में इसका विवरण देना अनिवार्य है।
- ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत, उपकरण कोड CEEW5 (फ्लोरोसेंट एवं अन्य मरकरी युक्त लैंप) के उत्पादकों को इस प्रकार के अपशिष्ट के निर्वहन के लिए लिए वेस्ट डिपॉजिशन सेंटर अथवा एकत्रण स्थल की सूची प्रदान करना अनिवार्य है।
- एकत्रण एवं संग्रहण से संबंधित जानकारी को फॉर्म-1 में सूचित करना चाहिए
- निर्वहन योजना-फॉर्म 1 में निर्वहन से संबंधित सूचना को देना चाहिए। ई-अपशिष्ट के निर्वहन से संबंधित जानकारी को निम्नवत देना चाहिए
- क्षेत्र एवं स्थान के हिसाब से ई-अपशिष्ट के एकत्रण की क्षमता
- अनुभवी संस्थाओं जैसे पी आर ओ की मदद लेना
- आंकलित की गयी ई-अपशिष्ट की मात्रा को प्राधिकृत रिसाइक्लर/डिस्मैंटलर को प्रदान करना
- निर्वाह किये गए ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय अनुकूल पुनर्चक्रण हेतु प्राधिकृत रिसाइक्लर/डिस्मैंटलर की क्षमता का आंकलन करना

संग्रहण केंद्र (कलेक्शन सेंटर्स) - उपभोक्ता को या तो अपने संग्रहण केंद्र का अथवा उनसे अनुबंधित केंद्रों का विस्तृत विवरण देना चाहिए। यदि संग्रहण केंद्र ई-अपशिष्ट का निर्वहन करता है तो फॉर्म-1 में संग्रहण केंद्र की निम्न जानकारी प्रदान करनी चाहिए

- संग्रहण केंद्र के बारे में सूचीबद्ध विवरण जैसे कलेक्शन सेंटर के सञ्चालन में निहित संस्था का नाम एवं पता (उत्पादक, उत्पादकों के समूह, रिफर्बिशर, रिसाइक्लर और डिस्मैंटलर) प्रदान करना चाहिए।
- संग्रहण केंद्रों की संख्या, ई-अपशिष्ट के उत्पादन एवं निर्वहन के अनुसार होनी चाहिए। इन संग्रहण केंद्र और एकत्रण संस्थान में सुविधाएँ गाइडलाइन के अनुसार होनी चाहिए।

डिस्मैंटलर एवं रिसाइक्लर- प्राधिकृत डिस्मैंटलर रिसाइक्लर जो उत्पादक द्वारा निर्वाहित ई-अपशिष्ट में निहित है, उनका विवरण जैसे कि उनका नाम, स्थान, प्रोसेसिंग क्षमता, संपर्क हेतु विवरण आदि को सूचीबद्ध फॉर्म-1 में प्रदान करना। प्रदत्त विवरण, आंकलित किये गए ई-अपशिष्ट एवं गाइडलाइन्स के अनुरूप होने चाहिए।

उपचार, संग्रहण, निपटान सुविधा (टी एस डी एफ) - यदि उपकरण कोड CEEW5 (फ्लोरोसेंट एवं अन्य मरकरी युक्त लैंप) के पुनर्चक्रण लिए कोई रिसाइक्लर उपलब्ध न हो तो उत्पादक को उपचार, संग्रहण, निपटान सुविधा (टी एस डी एफ) कि सूची, जिसके साथ उसका एग्रीमेंट है, प्रदान करना अनिवार्य है।

4.7.3 गाइडलाइन्स में उल्लेखित ई पी आर प्लान से संबंधित दस्तावेज

- प्रस्तावित जागरूकता कार्यक्रम का विवरण और उससे संबंधित प्रस्ताव
- अनुमानित ई पी आर में प्रस्तावित बजट
- डीलर्स, कलेक्शन सेंटर्स, डिस्मैटलेर्स, रिसाइक्लर, उपचार, संग्रहण, निपटान सुविधा (टी एस डी एफ) आदि के साथ एग्रीमेंट दस्तावेज कि प्रति
- गाइडलाइन्स में दिए गए अनुच्छेद-II के संरूप आर ओ एच एस के अनुपालन हेतु स्वघोषणा
- गाइडलाइन्स में दिए गए अनुच्छेद-III के संरूप उपकरणों पर आधारित आर ओ एच एस के अनुपालन के प्रमाण हेतु तकनीकी दस्तावेज
- व्यापार हेतु संबंधित मंत्रालय/डिपार्टमेंट से अनुमति की प्रति

व्यापार हेतु विभिन्न दस्तावेज निम्नवत हैं:

- TIN का विवरण
- PAN का विवरण
- इनकारपोरेशन प्रमाणपत्र
- आयातक द्वारा प्रदत्त IEC की प्रति
- 01-10-2016 से पहले देश में कार्यरत उत्पादकों के ई-अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तांतरण, 2011 के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी प्राधिकरण की प्रति।

4.8 बोध प्रश्न 2

नोट: क) नीचे दिए गए स्थानों पर अपने उत्तर लिखें।

ख) अपने उत्तर को इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से तुलना करें।

- 1) ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत किन स्टेकहोल्डर्स को उत्तरदायित्व दिया गया है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु गाइडलाइन्स में विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई पी आर) के लिए क्या गाइडलाइन्स हैं?

.....
.....
.....

3) ई पी आर प्लान से संबंधित क्या-क्या दस्तावेज आवश्यक हैं?

.....
.....
.....

4.9 सारांश

- ई-अपशिष्ट के नियम की उत्पत्ति यूरोपियन यूनियन के WEEE डायरेक्टिव से हुई है, जिसमें आर ओ एच एस के अधिनियम को भी शामिल किया गया है।
- सर्वप्रथम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तांतरण नियम), 2012 में लागू किये गए थे, जब कि हानिकारक पदार्थों के प्रतिबंधन को 2014 में पारित किया गया। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम का पुनः निर्वर्तन 2016 में किया गया।
- **विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई पी आर)** विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के किसी उत्पादक का दायित्व ऐसे अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से युक्तियुक्त प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश देना, विस्तारित उत्पादक दायित्व में उनके प्राधिकार में उनके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उत्पादन दायित्व वाले माध्यम के संगठन के माध्यम से या तो व्यक्ति रूप से या सामूहिक रूप से प्राधिकृत डिस्मैंटलर अथवा रिसाइक्लर के साथ सहमत व्यवस्था शामिल होना
- उत्पादों या प्रयोक्ता प्रलेखन पर नीचे दिए अनुसार कोई दृश्यमान, पठनीय और अमिट प्रतीक चिन्ह चिपकाना और निपटान के लिए निर्धारित अपशिष्ट से भरे कूड़ेदान में ई-अपशिष्ट को डाले जाने से रोकने के लिए सूचना पुस्तिकाएं



- यदि उपकरण कोड CEEW5 (फ्लोरोसेंट एवं अन्य मरकरी युक्त लैंप) के पुनर्चक्रण लिए कोई रिसाइक्लर उपलब्ध न हो तो उत्पादक को उपचार, संग्रहण, निपटान सुविधा (टी एस डी एफ) कि सूची, जिसके साथ उसका एग्रीमेंट है, प्रदान करना अनिवार्य है।

4.10 प्रमुख शब्द

WEEE डायरेक्टिव : इसमें सभी प्रकार के त्यागने योग्य इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनके पुर्जे, उपयोग किये हुए भाग आदि को शामिल किया गया है।

- ई-अपशिष्ट** : से तात्पर्य विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से हैं जो उपभोक्ता द्वारा समग्र रूप से या उनके भाग अथवा जो निर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रिया से उत्पन्न ई-अपशिष्ट के रूप में हटा दिए जाते हैं।
- विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण** : से तात्पर्य ऐसे उपकरणों से है जो पूर्ण रूप से क्रियान्वन होने के लिए विद्युत धारा पर या विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों पर आधारित होते हैं।
- ऐतिहासिक ई-अपशिष्ट** : अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से उत्पन्न ई-अपशिष्ट से हैं जो नियमों के लागू होने की तारीख में उपलब्ध थे।
- विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई पी आर)** : विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के किसी उत्पादक का दायित्व ऐसे अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से युक्तियुक्त प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश देना, विस्तारित उत्पादक दायित्व में उनके प्राधिकार में उनके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उत्पादन दायित्व वाले माध्यम के संगठन के माध्यम से या तो व्यक्ति रूप से या सामूहिक रूप से प्राधिकृत डिस्मैंटलर अथवा रिसाइक्लर के साथ सहमत व्यवस्था शामिल होना।

4.12 संदर्भ और सुझाव रीडिंग

Ministry of Environment Forest and Climate Change, Notification, New Delhi, 23rd March, 2016

<http://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=UHJvamVjdHMvRS1XYXN0ZS9FLVdhc3RITV9SdWxlc18yMDE2LnBkZg==>

Implementation guidelines for E-waste (Management) Rules, 2016, Central Pollution Control Board, Delhi

<http://cpcb.nic.in/displaypdf.php?id=aHdtZC9HVUIERUxJTkVTX0VXQVNURV9SVUxUFU18yMDE2LnBkZg==>

WEEE Recycle & CSE. E-Waste Training Course for Policymakers and Regulators – Facilitator’s Manual

Tool kit on E-waste Management Rules 2016

<http://www.npcindia.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Tool-Kit-on-e-Waste-Management-Rules-2016.pdf>

4.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

- 1) सर्वप्रथम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तांतरण नियम), 2012 में लागू किये गए थे, जब कि हानिकारक पदार्थों के प्रतिबंधन को 2014 में पारित किया गया।
- 2) ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रमुख पहलू निम्नवत हैं:

- अनधिकृत पुनर्चक्रण/पुनर्प्राप्ति की गतिविधियों को कम करना।
 - ई-अपशिष्ट को अधिकृत रेसाइक्लर को देकर पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित पुनर्चक्रीकरण को बढ़ावा देना।
 - विस्तारित उत्पादक दायित्व द्वारा ई-अपशिष्ट के एकत्रीकरण/टेक-बैक करना तथा उसे अधिकृत रेसाइक्लर को देना।
 - सामान्य अपशिष्ट में मिश्रित कोई भी लावारिस ई-अपशिष्ट को नगरपालिका द्वारा अधिकृत रिसाइक्लर अथवा डिस्मैटलर तक पहुँचाना।
 - ई-अपशिष्ट के एकत्रीकरण प्रणाली का निर्माण करना।
- 3) इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की श्रेणियां एवं औसत आयु को नीचे तालिका में उल्लेखित किया गया है:

क्रमांक	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की श्रेणियां	औसत आयु (वर्षों में)
i)	सूचना, प्रौद्योगिक और दूर-संचार उपकरण:	
	केंद्रीकृत डेटा प्रसंस्करण : मेनफ्रेम, मिनीकंप्यूटर	10 5
	व्यक्तिगत कंप्यूटिंग: व्यक्तिगत कंप्यूटर (इनपुट-आउटपुट यंत्रों सहित केंद्रीय प्रक्रियण एकक)	6
	व्यक्तिगत कंप्यूटिंग: लैपटॉप कंप्यूटर (इनपुट-आउटपुट यंत्रों सहित केंद्रीय प्रक्रियण एकक)	5
	व्यक्तिगत कंप्यूटिंग: नोटबुक कंप्यूटर	5
	व्यक्तिगत कंप्यूटिंग: नोटपेड कंप्यूटर	5
	केंद्रीज सहित प्रिंटर	10
	प्रतिलिपिकरण उपकरण	8
	विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर	5
	प्रयोक्ता टर्मिनल और सिस्टम	6
	प्रणालियाँ	10
	टेलेक्स	5
	टेलीफोन	9
	पे टेलफोन्स	9
	कार्डलेस टेलफोन्स	9
	सेलफोन	
	फीचर फोन्स	7
स्मार्ट फोन्स	5	
उत्तरदायी प्रणालियाँ		

ii)	उपभोक्ता विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स :	
	टेलीविजन सेट (लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एवं लाइट एमिटिंग डायोड प्रौद्योगिकी पर आधारित सेट सहित)	9
	रेफ्रीजिरेटर	10
	वाशिंग मशीन	9
	केंद्रीयकृत वातानुकूलन संयंत्रों को छोड़कर अन्य वातानुकूलक	10
	फ्लोरोसेंट और अन्य मरकरी युक्त लैंप	2

बोध प्रश्न 2

1) ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निम्न स्टैकहोल्डर के उत्तरदायित्वों को उल्लेखित किया गया है:

- सभी उत्पादक, विनिर्माता, उपभोक्ता अथवा बड़े उपभोक्ता, जो अनुसूची-1 में दिए गए विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बेचते, खरीदते और इन उपकरणों या उनके भागों की प्रौद्योगिकी में कार्यरत होते हैं।
- सभी रिफर्बिशर (नवीनीकरण), संग्राहक, डिस्मैटलेर एवं रिसाइक्लर।
- उपभोक्ता अथवा बड़े उपभोक्ता।
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति।
- नगरपालिका/महानगरपालिका/नगरपरिषद।

2) विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई पी आर) के लिए गाइडलाइन्स निम्नवत हैं:

- सभी उत्पादकों को या तो एकल या अन्य उत्पादकों के साथ अथवा पी आर ओ के द्वारा प्राधिकृत रिसाइक्लर के साथ अनुबोधक होना अनिवार्य है।
- सभी उत्पादकों को विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई पी आर) प्राधिकार के लिए ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रारूप 1 में आवेदन करना अनिवार्य है। इस आवेदन में अवधि समाप्त होने वाले उपकरणों (ई-अपशिष्ट) के संग्रहण एवं दिशा-निर्दिष्ट के बारे में सूचना देना अनिवार्य है।
- उत्पादक द्वारा उत्पादित ई-अपशिष्ट को एक विशेष वर्ग कोड में अनुमानित करना अनिवार्य है, जिसमें उत्पादक, पिछले वर्षों में बाजार में पहुंचाए गए ई-उपकरणों एवं उपकरण की औसतन आयु को ध्यान में रखते हुए उपकरणों की मात्रा (संख्या एवं वजन) के आधार पर अनुमानित करेगा।

3) ई पी आर प्लान से संबंधित दस्तावेज निम्नवत हैं:

- प्रस्तावित जागरूकता कार्यक्रम का विवरण और उससे संबंधित प्रस्ताव।
- अनुमानित ई पी आर में प्रस्तावित बजट।

इलैक्ट्रॉनिक अपशिष्ट
प्रबंधन

- डीलर्स, कलेक्शन सेंटर्स, डिस्मैटलेर्स, रिसाइक्लर, उपचार, संग्रहण, निपटान सुविधा (टी एस डी एफ) आदि के साथ एग्रीमेंट दस्तावेज कि प्रति।
- गाइडलाइन्स में दिए गए अनुच्छेद-II के संरूप आर ओ एच एस के अनुपालन हेतु स्वघोषणा।
- गाइडलाइन्स में दिए गए अनुच्छेद-III के संरूप उपकरणों पर आधारित आर ओ एच एस के अनुपालन के प्रमाण हेतु तकनीकी दस्तावेज।
- व्यापार हेतु संबंधित मंत्रालय/डिपार्टमेंट से अनुमति की प्रति।



ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY